



Neutral Citation No.-2026:AHC:55672

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 3667 वर्ष 2026

काजल प्रजापति और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: धारा सिंह, कुलदीप कुमार गुप्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने हेतु परमादेश रिट जारी करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. दिनांक 16.02.2026 के पूर्व आदेश के अनुसार, श्री प्रभास कुमार तिवारी, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा विस्तृत निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख में ले लिया गया है।

3. निर्देशों के आधार पर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और उनके साथ रहने के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।

4. याचिकाकर्ताओं ने अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रहने का फैसला किया है और उनका दावा है कि उन्हें निजी प्रतिवादियों से जान का खतरा है। उन्होंने अपने संबंधित जिले की पुलिस से संपर्क किया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने वर्तमान रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का रुख किया है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 विवाह करने या न करने तथा लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का व्यक्तिगत विकल्प प्रदान करता है। एक वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने या अपने साथी के साथ रहने का अधिकार है। उन्हें विवाह से बाहर रहने का भी अधिकार है।

6. यह भी निवेदन किया जाता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के भूभाग के भीतर कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। इस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने, जो अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप में होने का दावा करते हैं, वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है, जो उनकी प्रार्थना के अनुसार किसी भी संबंध में सुरक्षा के साथ प्रवेश करने की कानूनी आयु है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और याचिका का निपटारा पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से किया जा रहा है।

8. लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में (2006) 5 एससीसी 475, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है, तो वह जिसके साथ चाहे रह सकता है और उसकी पसंद में किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। सुविधा और त्वरित संदर्भ के लिए, लता सिंह (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के प्रासंगिक भाग को उद्धृत करना उचित होगा:

"17. जाति व्यवस्था राष्ट्र पर अभिशाप है और जितनी जल्दी इसका नाश हो जाए उतना ही अच्छा है। वास्तव में, यह राष्ट्र को ऐसे समय में विभाजित कर रही है जब हमें राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करना होगा। इसलिए, अंतरजातीय विवाह वास्तव में राष्ट्रीय हित में हैं क्योंकि इनसे जाति व्यवस्था का नाश होगा। हालांकि, देश के कई हिस्सों से परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं कि अंतरजातीय विवाह करने वाले युवा लड़के-लड़कियों को हिंसा की धमकी दी जा रही है या उन पर हिंसा की जा रही है। हमारी राय में, हिंसा, धमकी या उत्पीड़न के ऐसे कृत्य पूरी तरह से अवैध हैं और इन्हें करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध तोड़ लें, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते या हिंसा नहीं कर सकते। हिंसा को उकसाने का अधिकार नहीं है और न ही ऐसे व्यक्ति को परेशान करने का अधिकार है जो

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करता है। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की जो बालिग है, किसी बालिग महिला या पुरुष से अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करता है, तो दंपति को किसी के द्वारा परेशान न किया जाए और न ही उन्हें धमकियों या हिंसा के कृत्यों का शिकार बनाया जाए, और जो कोई भी ऐसी धमकियाँ देता है या परेशान करता है या हिंसा करता है, चाहे स्वयं या उसके उकसावे पर, उसके खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके दंडात्मक कार्रवाई की जाए और कानून के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हम कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों की 'इज्जत' के नाम पर हत्याओं के बारे में सुनते हैं जो अपनी मर्जी से अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करते हैं। ऐसी हत्याओं में कुछ भी इज्जतदार नहीं है, और वास्तव में वे बर्बर और शर्मनाक हत्या के कृत्य हैं जो क्रूर, सामंती मानसिकता वाले व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। जो कठोर दंड के पात्र हैं। केवल इसी तरह हम ऐसे बर्बरता पूर्ण कृत्यों को जड़ से खत्म कर सकते हैं।"

9. शाफिन जहां बनाम अशोकन के.एम. और अन्य के मामले में, जिसका उल्लेख (2018) 16 एससीसी 368 में किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक वयस्क व्यक्ति के चुनाव के अधिकार को उचित महत्व दिया है, जो संविधान द्वारा एक वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। जीवनसाथी चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है, चाहे वह किसी भी धर्म, आस्था, जाति आदि का हो। न तो राज्य, न कानून, न ही समाज जीवनसाथी के चुनाव को निर्धारित कर सकता है। यह अधिकार केवल ऐसे कानून के माध्यम से छीना जा सकता है, जो सारतः और प्रक्रियात्मक रूप से निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं को, जो अलग-अलग धर्मों के हैं, हिंदू और मुसलमान के रूप में नहीं देखता, बल्कि दो वयस्क व्यक्तियों के रूप में देखता है जो अपनी स्वतंत्र इच्छा और चुनाव से काफी समय से शांतिपूर्वक और सुखपूर्वक एक साथ रह रहे हैं। न्यायालयों और विशेष रूप से संवैधानिक न्यायालयों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्निहित हिस्सा है। किसी व्यक्तिगत संबंध में हस्तक्षेप, दोनों व्यक्तियों की पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर अतिक्रमण होगा। यह न्यायालय यह समझने में विफल है कि यदि कानून दो व्यक्तियों को, यहां तक कि समान लिंग के व्यक्तियों को भी, शांतिपूर्वक एक साथ रहने की अनुमति देता है, तो न तो कोई व्यक्ति, न कोई परिवार और न ही कोई राज्य दो वयस्क व्यक्तियों के विषमलिंगी संबंध पर आपत्ति कर सकता है जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक साथ रह रहे हैं। किसी वयस्क व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का निर्णय लेना उसका पूर्णतः अधिकार है। जब इस अधिकार का उल्लंघन होता है, तो यह उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि इसमें जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है।

11. **सोनी गेरी बनाम गेरी डगलस (2018) 2 एससीसी 197** में तीन न्यायाधीशों की पीठ के एक हालिया फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले पर विचार किया, जिसमें अपीलकर्ता और प्रतिवादी की बेटी, जो बालिग थी, ने अपने पिता के साथ कुवैत में रहने की इच्छा व्यक्त की थी, जहाँ वह अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही थी। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“9. उसने बिना किसी संकोच के स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपना करियर बनाने के लिए कुवैत वापस जाना चाहती है। ऐसी स्थिति में, हमारा यह मत है कि एक वयस्क होने के नाते, उसे अपनी पसंद और स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अधिकार है और न्यायालय इस पहलू में नहीं पड़ सकता कि क्या उसे उसके पिता द्वारा मजबूर किया गया है या नहीं। उसके पास कुवैत में अपने पिता के पास वापस जाने के पर्याप्त कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें उसके कारणों से कोई लेना-देना नहीं है। उसने न्यायालय के समक्ष जो कहा है, वही मायने रखता है और यही इस न्यायालय के तर्क का मूल है, जो सभी विवादों को दूर रखता है।

10. यह कहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन में वयस्कता की आयु प्राप्त करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसे अपना चुनाव करने का अधिकार है। जब तक यह विकल्प शेष है, न्यायालय अभिभावक की भूमिका नहीं निभा सकता। पुत्री को कानून द्वारा अनुमत स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है और न्यायालय को माता की किसी भी भावना या पिता के अहंकार से प्रभावित होकर सर्वोच्च अभिभावक की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। हम यह बात बिना किसी संकोच के कहते हैं।”

12. उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया है।

13. सर्वोच्च न्यायालय ने शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018) 7 एससीसी 192 में "ऑनर किलिंग" के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की, जिसे न्यायालय ने न केवल भयावह और बर्बर पाया बल्कि जीवन साथी चुनने के अधिकार और व्यक्ति की गरिमा में हस्तक्षेप भी पाया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. जाति, पंथ या धर्म के बावजूद जीवनसाथी चुनने का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निहित है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है।

15. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अंतरधार्मिक विवाहों पर पहले ही विचार किया है और अंतरधार्मिक विवाह से संबंधित कुल 17 याचिकाओं पर सुनवाई की गई है और इस न्यायालय द्वारा **मायरा उर्फ वैष्णवी विलास शिरशिकर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, रिट-सी संख्या 14806/2021**, दिनांक 18.11.2021 के मामले में इन्हें स्वीकार किया गया था। इसमें यह पाया गया कि जीवनसाथी का चुनाव, चाहे विवाह के भीतर हो या विवाह के बाहर, प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण अधिकार है। यह भी पाया गया कि उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 (संक्षेप में "अधिनियम, 2021") स्वयं अंतरधार्मिक विवाह को प्रतिबंधित नहीं करता है।

16. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करते हैं। यह धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता है।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह माना है कि लिव-इन रिलेशनशिप किसी भी कानून के तहत निषिद्ध या दंडनीय नहीं है। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 तथा अधिनियम, 2021 को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि अंतरधार्मिक दंपति का लिव-इन रिलेशनशिप अपराध है। यदि कोई अपराध हुआ होता, तो अधिनियम, 2021 की धारा 4 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना दी गई होती।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ताओं के लिव-इन रिलेशनशिप के संबंध में आज तक कोई एफ.आई.आर. या शिकायत दर्ज नहीं की गई है। द्वितीय, यह न्यायालय एक ट्रायल कोर्ट नहीं है जो यह पता लगाए कि याचिकाकर्ताओं ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहकर कोई अपराध किया है या नहीं। इस स्तर पर यह न्यायालय केवल याचिकाकर्ताओं की आशंका के मुद्दे की जांच कर रहा है, जो याचिका में वर्णित कारणों/परिस्थितियों के आधार पर उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरे से संबंधित है। यदि याचिकाकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है, तो इस न्यायालय को कोई कारण नहीं दिखता कि उनकी सुरक्षा प्रदान करने की प्रार्थना को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता।

18. विचाराधीन मुद्दा जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा मांगने के मौलिक अधिकार से वंचित होना है। मैं यह कहने में कोई संकोच नहीं करता कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक मौलिक अधिकार का महत्व बहुत अधिक है। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत पवित्र होने के कारण, इसकी रक्षा की जानी चाहिए, चाहे अमान्य या शून्य विवाह संपन्न हो गया हो या पक्षों के बीच कोई विवाह न हुआ हो।

19. इस न्यायालय ने रिट-सी संख्या 41127/2025 (नूरी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य), दिनांक 23.02.2026 को दिए गए निर्णय में इसी विवाद का विस्तारपूर्वक निपटारा किया है। वर्तमान मामले के तथ्य नूरी (उपरोक्त) मामले के तथ्यों से मिलते-जुलते हैं।

20. संवैधानिक दायित्वों के अनुसार राज्य का यह परम कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे। मानव जीवन के अधिकार को नागरिक के धार्मिक विश्वास की परवाह किए बिना सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केवल इस तथ्य से कि याचिकाकर्ता अंतरधार्मिक संबंध में रह रहे हैं, उन्हें भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिकल्पित उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जाति, पंथ, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

21. तदनुसार, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाएं **स्वीकार** की जाती हैं।

(i) याचिकाकर्ताओं को निजी प्रतिवादियों या उनके सहयोगियों द्वारा किसी प्रकार की हानि पहुँचाए जाने की स्थिति में अपनी शिकायतों के निवारण हेतु पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता है। ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर, पुलिस अधिकारी याचिकाकर्ताओं की आयु और आयु की जाँच करेंगे और यदि उन्हें याचिकाकर्ताओं के आरोपों में कोई सच्चाई मिलती है, तो वे याचिकाकर्ताओं के जीवन, शरीर और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

(ii) याचिकाकर्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं यदि कोई व्यक्ति उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करे, या किसी कपटपूर्ण तरीके, बल प्रयोग, दबाव, प्रलोभन, अनुचित प्रभाव या गलत बयानी के माध्यम से ऐसा करे।

(iii) नूरी (उपरोक्त) मामले में उल्लिखित दिनांक 31.08.2019 के सरकारी आदेश में दिए गए निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों पर बाध्यकारी हैं और इनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

(iv) यह आदेश पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित किसी भी जांच में बाधा नहीं बनेगा।

22. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

23. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की सही आयु का निर्धारण नहीं किया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार शुरू की गई किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही से बचाने के लिए पारित नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 मार्च, 2026

निर्देश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।